उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध अपील वाद संख्या – 13/2017

अरूण अग्रवाल बनाम कैलाश रविदास वगै0

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
22.11.2019	–: **आदेश** :– अभिलेख उपस्थापित। मौजा–कैथा, थाना नं0–85, थाना– रामगढ़ अर्न्तगत खाता नं0–10, प्लॉट नं0–2150 कुल रकबा–2.00 एकड़ भूमि से संबंधित भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा लगान निर्धारण वाद संख्या–10/2015–16 में दिनांक 22.12.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S-16 Bihar Tenants Holding (Maintenance of record) Act.-1973 के तहत् दायर अपील आवेदन के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत् भूमि के बावत् माननीय व्यवहार न्यायालय, रामगढ़ में स्वामित्व निर्धारण हेतु वाद लंबित है, उक्त अवधि में भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा विपक्षीगण के नाम से लगान निर्धारण करते हुए, लगान रसिद् निर्गत किया जाना विधिसंगत नहीं है। इन्होंने लगान निर्धारण वाद संख्या–10/2015–16 में दिनांक 22.12.2015 को पारित आदेश को खारिज करने हेतु अनुरोध किया है। विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत् भूमि सर्वे खतियान में रैयती बेलगान दर्ज है। विपक्षीगण खतियान रैयत के वंशज हैं और वर्षों से दखलकार चले आ रहे हैं। विपक्षीगण द्वारा लगान निर्धारण हेतु दायर आवेदन के परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा विधिवत् जाँचोपरान्त लगान निर्धारण की अनुशंसा की गई। तत् पश्चात् भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा लगान निर्धारण करते हेतु आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा राजस्व पंजी में विपक्षीगण के नाम से जमाबन्दी दर्ज करते हुए लगान रसिद् निर्गत किया गया हैं। इन्होंने अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन को अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है। वाद से संबंधित विवादित भूमि के परिप्रेक्ष्य में प्रारम्भ की गई अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा संदेहात्मक जमाबन्दी वाद सं0–77/88 में भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, रामगढ़ एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा सावरमल अग्रवाल के नाम से कायम जमाबन्दी को संदेहात्मक मानते हुए रद्द किया गया है, जो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दायर अपील वाद में अपीलार्थी के पिता है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग के न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया, जिसमे अपील आवेदन अस्वीकृत किया गया है। तत् पश्चात् माननीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग में दायर Jamabandi Cancellation Revision case no.-04/99 में दिनांक 14.08.2001 को पारित आदेशानुसार जमाबन्दी को चालू रखते हुए लगान रसिद निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।	

उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची में दायर W.P (C) No.-960/2002 में दिनांक 07.10.2009 को पारित आदेशानुसार विवादित भूमि से संबंधित व्यवहार न्यायालय, रामगढ़ में स्वामित्व निर्धारण हेतु दायर T.S no.- 83/13 में दिनांक 17.01.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय व्यवहार न्यायालय, रामगढ़ में Miscellaneous case no.- 4/2017 अरूण अग्रवाल एवं अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य सुनवाई/आदेश हेतु लम्बित है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना, विषगत् वाद से संबंधित निम्न कार्यालय/न्यायालय का लगान निर्धारण अभिलेख (संलग्न कागजात), अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन एवं विपक्षी द्वारा दायर कारण–पृच्छा तथा प्रश्नगत् भूमि के बावत् हक–हकियत दावे के समर्थन में समर्पित कागजातों का अवलोकन किया, जिसमें निम्न तथ्य स्पष्ट है :–

(1) – अपीलार्थी द्वारा निबंधिन केवाला के माध्यम से प्रश्नगत् भूमि हासिल करने का दावा किया जाता है, जबकि विपक्षी खतियानी रैयत के वंशज होने के कारण प्रश्नगत् भूमि पर अपना स्वामीत्त्व का दावा करते है।

(2)– वाद में विवादित् भूमि मौजा–कैथा, थाना नं0–85, थाना– रामगढ़ अर्न्तगत खाता नं0–10, प्लॉट नं0–2150 कुल रकबा–2.00 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में गणशा चमार के नाम से रैयती बेलगान दर्ज है।

(3)– यह मामला विपक्षीगण के नाम से कायम जमाबन्दी एवं निर्गत लगान रसिद् का रद्दीकरण (Cancellation) तथा प्रश्नगत् भूमि के बावत् उभय पक्षों के बीच स्वामित्त्व निर्धारण से संबंधित है, जिसके लिए यह न्यायालय सक्षम नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित उभय पक्षों के बीच स्वामित्व निर्धारण हेतु मान्नीय व्यवहार न्यायालय में Miscellaneous Case No.-04/2017 अरूण अग्रवाल एवं अन्य बनाम् झारखण्ड सरकार एवं अन्य लम्बित है, ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्याय–संगत नहीं होगा। अतः अपीलार्थी द्वारा दायर **अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।** इसी आदेश के साथ वाद निस्तारित किया जाता है। निम्न कार्यालय/न्यायालय को अभिलेख वापस करें। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

168/विधि
169/विधि
17/02/2020

लेखापिता एवं संशोधित

उपायुक्त,
रामगढ़।

22/11/19
उपायुक्त,
रामगढ़।